जनगणना/खाद्य शाखा

- प्रभारी अधिकारी - श्री सुनील अग्रहरि, उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी
- जनगणना/खाद्य शाखा में 07 नियमित एवं 01 प्लेसमेंट कर्मचारी कार्यरत् है।

जनगणना की जानकारी :–

- भारत की जनगणना 2021 के लिए जिला, तहसील नगर के क्षेत्राधिकार में हुए परिवर्तन की जानकारी जनगणना निदेशालय को भेजी गई है।
- जनगणना 2021 कार्य हेतु प्रगणक पर्यवेक्षक की सूची 18 कॉलम में तैयार करने की कार्यवाही वर्ष 2020 में माह मार्च तक किया गया। किन्तु कोविड-19 के चलते कार्य पूर्णतः बंद है।

जनगणना/खाद्य शाखा

- परिपत्र-1 मकान सूचीकरण ब्लाक बनाने एवं मकान नंबरिंग का कार्य बंद है।
- नगर निगम में नये परिसीमन अनुसार वार्डों की जानकारी निदेशालय में भेजा गया है।
- नगरों में गंदी बस्तियों (स्लम) की जानकारी 2011 के अनुसार निदेशालय में भेजी गई है।
- जनगणना 2021 के लिए जिला स्तरीय प्रथम चरण का प्रशिक्षण दुर्ग कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ है। जिसमें आयुक्त, उपायुक्त, जोन आयुक्त, लिपिक वर्गीय कर्मचारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरगण प्रशिक्षण ले चुके है।
- नगर स्थित अर्द्धसैनिक बलों के स्थायी/अस्थायी कैम्पों की जानकारी निदेशालय को भेजी गई है।
- अनुदेश पुस्तिका (मकान सूचीकरण अनुदेश पुस्तिका एवं मकान सूचीकरण मोबाईल एप्प) सामग्री प्राप्त कर लिया गया है एवं उसे सुरक्षित रखा गया है।

जनगणना/खाद्य शाखा

- जनगणना 2021 के लिए नगर में शामिल मोहल्लो/कॉलोनियों के नामों की वार्डवार सूची उपलब्ध करायी गयी है।
- जनगणना 2011 परिवार ड्राफ्ट सूची की प्रिंट आउट जोन के साथ-साथ निगम मुख्यालय द्वारा किया जाता है।
- **जनगणना 2011**

1.	2011 अनुसार कुल जनसंख्या	**6,25,379**
2.	2011 अनुसार महिला	**3,03,436**
3.	2011 अनुसार पुरूष	**3,21,929**
4.	2011 अनुसार अन्य	**14**
5.	2011 अनुसार मकानों की संख्या	**1,65,401**

जनगणना/खाद्य शाखा

जनगणना 2021	**1.**	2021 अनुसार कुल जनसंख्या	**5,16,562**
	2.	2021 अनुसार महिला	**2,50,413**
	3.	2021 अनुसार पुरूष	**2,66,135**
	4.	2021 अनुसार अन्य	**14**
	5.	2021 अनुसार मकानों की संख्या	**1,36,664**

जनगणना/खाद्य शाखा

नगर पालिक निगम भिलाई

खाद्य की जानकारी :–

- सभी जोन में एपीएल/बीपीएल राशनकार्ड की संपूर्ण कार्यवाही जोन के सहायक राजस्व अधिकारी करते है। सभी 05 जोन के सहायक राजस्व अधिकारियों को प्राधिकृत खाद्य अधिकारी नियुक्त किया गया है।

- नया एपीएल राशनकार्ड में ऑनलाईन एन्ट्री ।त्व् के आईडी से जोन स्तर पर ही पूरा किया जाता है। केवल पीडीएफ के लिए प्रकरण सूची बनाकर ।त्व् खाद्य नियंत्रक को भेजते है।

- नया बीपीएल राशनकार्ड हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ सभी अनिवार्य दस्तावेज लेकर परीक्षण हेतु मौका जॉच कर स्थल प्रतिवेदन के आधार पर पात्र होने से स्पष्ट अनुशंसा के साथ हितग्राही का प्रकरण खाद्य विभाग दुर्ग में राशनकार्ड प्रकरण को मुलतः भेजा जाता है। बीपीएल राशनकार्ड ऑनलाईन में एन्ट्री का कार्य खाद्य विभाग के मॉड्यूल से होता है।

- राशनकार्ड बीपीएल के ऐसे प्रकरण जो लाईलाज बिमारी से ग्रसित, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता अथवा पीएमओ, जनचौपाल, पीजीएन से प्राप्त शिकायत आवेदन पत्रों का निराकरण मुख्य कार्यालय नोडल अधिकारी खाद्य विभाग सुपेला से किया जाता है।

जनगणना/खाद्य शाखा

- बीपीएल सर्वे सूची का क्रमांक एवं बीपीएल परिवार सदस्यों की जानकारी वाली ऑफलाईन सेट सूची प्रिंट जोन के साथ-साथ निगम मुख्यालय सुपेला से किया जाता है। किन्तु बीपीएल सत्यापन प्रमाण पत्र जोन के सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।

- **राशनकार्ड**

1.	कुल शासकीय उचित मूल्य दुकानों की संख्या	**160**
2.	कुल राशनकार्ड की संख्या	**1,43,872**
3.	एपीएल (सामान्य) कार्ड	**59,458**
4.	अंत्योदय कार्ड कुल	**24,481**
5.	प्राथमिक कार्ड	**59,025**
6.	निराश्रित	**346**
7.	निःशक्तजन कार्ड	**562**
8.	अन्नपूर्णा	**00**

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में बीपीएल श्रेणी से शाला प्रवेश हेतु जानकारी:-

- प्राथमिक राशनकार्ड में बीपीएल सर्वेक्षण 2007-08 सत्यापन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- अंत्योदय राशनकार्ड में बीपीएल सर्वेक्षण 2007-08 सत्यापन प्रमाण पत्र या जनगणना पत्रक 2011 में नाम दर्ज होना आवश्यक है।
- बीपीएल सर्वे क्र.2007-08 का होना आवश्यक है एवं सत्यापन प्रमाण पत्र जोन कार्यालय से सहायक राजस्व अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी खाद्य के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है।
- बीपीएल सर्वे क्र.2007-08 जो नाम दर्शित है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन, विलोपन, नाम जोड़ने अथवा त्रृटी सुधार का शासन से कोई भी नियम प्रावधानिक नहीं है अर्थात् बीपीएल सर्वे 2007-08 में उल्लेखित नामों के आधार पर ही सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापन प्रामण पत्र जारी किया जाता है।

जनगणना/खाद्य शाखा

- किसी भी बीपीएल राशनकार्डधारी मुखिया के अधिनस्थ उस परिवार के जिन सदस्यों का नाम प्रविष्ट किया गया है उन्हें योजना का लाभ दिया जावेगा। किन्तु यदि उस राशनकार्ड में बच्चे के माता-पिता का नाम नहीं है और वह बच्चा उस मुखिया के अधिन आश्रित है तो उसे चिन्हांकित योजनाओं की लाभ की पात्रता मान्य किया जावेगा।

नगर पालिक निगम भिलाई

जनगणना/खाद्य शाखा

बीपीएल एवं एपीएल राशनकार्ड की कार्यवाही के संबंध में दिशानिर्देश:-

- बीपीएल राशनकार्ड में केवल सदस्यों का नाम जोड़ने, नाम हटाने, नाम में संशोधन का कार्य जोन स्तर के मॉडयूल से होगा। इस कार्य के लिए हितग्राही से सादे कागज पर आवेदन प्राप्त कर राशनकार्ड की छायाप्रति और जिस सदस्य का नाम जोड़ना/संशोधन कराना है उसके आधार कार्ड की छायाप्रति लेना अनिवार्य होगा। किन्तु नाम हटाने के लिए मुखिया के द्वारा सादे कागज पर आवेदन स्पष्ट कारण सहित देना होगा। साथ ही आवेदन में यदि मृत्यु हो गया/गई हो तो मृत्यु का प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति लगाया जाना होगा। उक्त दस्तावेज के पश्चात् ऑनलाईन एन्ट्री जोन स्तर पर होगा, एन्ट्री की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् ही पीडीएफ के लिए दुर्ग खाद्य विभाग से संपर्क कर पीडीएफ प्राप्त करना होगा।

- एपीएल राशनकार्ड में केवल सदस्यों का नाम जोड़ने, नाम हटाने, नाम में संशोधन का कार्य जोन स्तर के मॉडयूल से होगा। इस कार्य के लिए हितग्राही से सादे कागज पर आवेदन प्राप्त कर राशनकार्ड की छायाप्रति और जिस सदस्य का नाम जोड़ना/संशोधन कराना है उसके आधार कार्ड की छायाप्रति लेना अनिवार्य होगा। किन्तु नाम हटाने के लिए मुखिया के द्वारा सादे कागज पर आवेदन स्पष्ट कारण सहित देना होगा। साथ ही आवेदन में यदि मृत्यु हो गया/गई हो तो मृत्यु का प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति लगाया जाना होगा। उक्त दस्तावेज के पश्चात् ऑनलाईन एन्ट्री जोन स्तर पर होगा, एन्ट्री की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् ही पीडीएफ के लिए दुर्ग खाद्य विभाग से संपर्क कर पीडीएफ प्राप्त करना होगा।

जनगणना/खाद्य शाखा

बीपीएल नवीनीकृत कार्ड या बीपीएल नये राशनकार्ड की कार्यवाही जैसे पूर्व में दिशानिर्देश था वैसा ही यथावथ रहेगा। अर्थात् फार्म नं.-01 में आवेदन प्राप्त करना है, आवेदन फार्म के साथ मजदूर कार्ड, जनगणना 2011 परिवार ड्रॉफ्ट सूची, बैंक खाता, आधार कार्ड मुखिया सहित सभी सदस्यों का संलग्न कर हितग्राही आवेदन प्रस्तुत करेंगे। तदपश्चात् मौका जॉच कर वार्ड मोहर्रिर पंचनामा तैयार किया जायेगा। पात्र होने पर ही उनके आवेदन फार्म सत्यापित कॉलम में जोन के सहायक राजस्व अधिकारी सत्यापित कर हस्ताक्षर सील लगाकर खाद्य विभाग दुर्ग को भेजेंगे। आवेदन फार्म के साथ हितग्राहियों की सूची भी 02 प्रति में तैयार कर एक प्रति आवेदन के साथ भेजना है। दूसरी प्रति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखना है। खाद्य विभाग द्वारा पीडीएफ प्राप्त होने के पश्चात् पूर्वत पंजी में दर्ज कर हस्ताक्षर सील से सहायक राजस्व अधिकारी हितग्राही को सौपेंगे। इस पूरी कार्यवाही के बाद ही उन्हें खाद्यन्न आबंटन होगा।

जनगणना/खाद्य शाखा

एपीएल नये राशनकार्ड के लिए मुखिया पुरूष/महिला कोई भी हो सकता है, नये एपीएल राशनकार्ड आवेदन फार्म के साथ 01 कलर फोटो मुखिया का, मुखिया का पहचान पत्र निर्वाचन वोटर आईडी, मुखिया का आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति जिसका नाम राशनकार्ड में सदस्य के रूप में शामिल करना है। इस कार्य के पश्चात् सहायक राजस्व अधिकारी सत्यापनकर्ता के रूप में अपने हस्ताक्षर सील से सत्यापित कर आवेदन फार्म प्रत्येक साप्ताहिक/पाक्षिक संकलन कर खाद्य विभाग को भेज देंगे। ध्यान रहे नये एपीएल राशनकार्ड के लिए हितग्राही से 10/- रू.नगद जमा करायेंगे। सहायक राजस्व अधिकारी 100 आवेदन फार्म एकत्र हो जोन के पश्चात् खाद्य के लेखा शीर्ष 0408 खाद्य भण्डारण 800 भण्डारण लघु शीर्ष में चालान से स्टेट बैंक दुर्ग गंजपारा में जमा करायेंगे। 03 प्रतियों में जमा चालान की मूल प्रति आवेदन के साथ खाद्य विभाग दुर्ग में जमा करायेंगे। चालान में नाम व पदनाम कॉलम के साथ जोन का क्र. व नाम अवश्य दर्ज करेंगे। ताकि किस जोन का राशि जमा हुआ है यह स्पष्ट हो जाये। उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् पीडीएफ के लिए खाद्य विभाग आवेदन भेजकर पीडीएफ प्राप्त करना होगा।

अन्य पिछड़ा वर्गो अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण:-

- राज्य शासन द्वारा राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्गों अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटिफायबल डेटा ; एकत्रित करने हेतु आयोग का गठन करते हुए उक्त आयोग में मान.श्री छबिलाल पटेल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका सर्वेक्षण संपूर्ण छ.ग. को शामिल किया जायेगा। जिसके लिये चिप्स कार्यालय द्वारा वेब एप्प का निर्माण किया गया है।

- क्वांटिफायबल डेटा हेतु बीपीएल का सर्वे सभी स्तर पर किया जायेगा। किन्तु कमजोर आय वर्ग के सर्वे हेतु निम्न आवश्यकता होगी। 8 लाख से नीचे आय वर्ग के लिए 5 एकड़ कृशि भूमि और उससे अधिक 1000 वर्ग फुट और उससे अधिका का आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगरीय निकाय में 100 वर्ग गज/900 स्क्वे. फीट और उससे अधिक के आवासीय भूखंड, अधिसूचित नगरीय निकाय पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज/1800 स्क्वे. फीट और उससे अधिक के आवासीय भूखंड होना चाहिए।

धन्यवाद